□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2297

23 □□□म□□, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य

2297. श्री □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या कोविड-19 लॉकडाऊन का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बच्चों और अभिभावकों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के बारे म जागरूकता फैलाने और बच्चों म कोविड-19 वायरस के डर से उत्पन्न भय के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए ह/उठाए जा रहे ह?

□त्त□

स□□स्थ और परिवार कल्या□ □त्री□ (श्री □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(क) से (ग): सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं करवाया है।

महामारी के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाल स्वास्थ्य सहित सभी अनिवाय सेवाओं को निरंतरता कायम रखने के लिए दिशानिदश जारी किए ह।

हालांकि, यह मानते हुए कि कोविड-19 का दुष्प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है और यह चिता का कारण बन सकता है, सरकार ने कोविड-19 के दौरान मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए अनेक पहले की ह। इनम निम्नलिखित पहल शामिल ह:

- बच्चों समेत परामर्शी सेवाओं के आकांक्षी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर (08046110007) स्थापित किया गया है।
- एक विस्तृत मागदशन (कोविड-19 महामारी के समय म मानसिक स्वास्थ्य-सामान्य मेडिकल और विशेषीकृत विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य परिचया के प्रतिष्ठानों के लिए मागदशन) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) द्वारा जारी किया गया है।

- तनाव और चिंता के प्रबंधन के लिए तथा सभी के लिए सहायता और परिचर्या के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप म सोशल मीडिया सहित मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
- (आईगोट) शिक्षा प्लेटफाम के माध्यम से मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्हांस द्वारा फ्रंटलाइन कर्मियों का ऑनलाइन क्षमता निमाण।
- कोविड-19 महामारी के दौरान किशोरों को आरोग्यता को बढ़ावा देने के लिए कायक्रम अधिकारियों और किशोर स्वास्थ्य परामशदाताओं का निदशन टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान(टीआईएसएस) के सहयोग से किया गया।
- कोविड-19 के दौरान बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सरोकारों के समाधान पर माता-पिताओं और परिचायदाताओं के लिए पर्चों और वीडियो जैसी सूचना शिक्षा संचार संबंधित सामग्री तैयार को गई है।
- लोकसभा टीवी प्रसारण के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष एपिसोड्स को प्रसारित किया गया।
- मानसिक स्वास्थ्य सहित कोविड-19 से जुड़े विभिन्न विषयों पर सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) अभियानों को चलाने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आपातकालीन कोविड अनुक्रिया योजना (ईसीआरपी) के लिए निधियां आवंटित को गई ह।
- बाल परिचर्या संस्थानों म रह रहे बच्चों और विपदाग्रस्त बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण के लिए एहतियाती कदम उठाने के लिए राज्यों/ और संघ राज्य क्षेत्रों तथा बाल परिचय संस्थानों को परामर्शिकाएं जारी को गईं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी बच्चों को देखभाल और संरक्षण के संबंध म परामर्शिका जारी को ह।
- "व्यावहारात्मक स्वास्थ्य मनोसामाजिक हेल्पलाइन" के अंतगत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को वेबसाइट (www.mohfw.gov.in) पर सभी दिशानिदश/ परामर्शिकाएं और प्रचार-प्रसार सामग्री दी गई है।

मानसिक विकारों के रोग-भार के और समाधान के लिए, भारत सरकार 1982 से ही राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कायक्रम (एनएमएचपी) चला रही है। सरकार 692 जिलों म जिला मानसिक स्वास्थ्य कायक्रम के कायान्वयन को भी सहायता दे रही है, इस कायक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य ह:

- आत्महत्या रोकथाम, कायस्थल से जुड़े तनाव का प्रबंधन, स्कूलों और कॉलेजों म जीवन-कौशल प्रशिक्षण और परामश संबंधी सेवाएं प्रदान करना।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जिनम रोकथाम, संवधन और विभिन्न स्तरों पर लंबे समय तक निरंतर स्वास्थ्य परिचया प्रदान करना।
- मानसिक स्वास्थ्य परिचया के लिए अवसंरचना, उपस्करों और मानव संसाधनों के रूप म संस्थागत क्षमता को बढ़ाना।
- मानसिक स्वास्थ्य परिचया और सेवाओं को सुपुदगी म सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी के लिए प्रावधान।

*****